(161)

III/निग०/रीवा/भू रा०/2017/3402 (268)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

जिला रीवा म०प्र०

Rs. 40/- संलग्न

अमिरूल्ला पिता रमजान बक्स उम्र 70 साल पेशा-कृषि निवासी ग्राम बहुती थाना मऊगंज, तह० हनुमना जिला रीवा म०प्र० .... निगरानी कर्ता

बनाम

पन्नालाल पिता बृजवासी लाल गुप्ता सा० गंज थाना मऊगंज तहसील मऊगंज जिला रीवा म०प्र० ... गैर निगरानी कर्ता गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता 1959 ई०

आवेदक अमिरुल्ला बक्श द्वारा पेश। 20.9.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार महोदय तहसील हनुमना द्वारा प्रकरण पन्नालाल विरूद्ध शासन प्रकरण क्रमांक - 9ए17/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 9.8.17 के ~~विरूद्ध निरस्त किए~~ अपास्त किए जाने बावत ।

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त सार

यह निगरानी तहसीलदार महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० के द्वारा प्रकरण पन्नालाल विरूद्ध शासन प्रकरण क्रमांक 9ए17/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 9.8.17 से परिवेदित होकर निगरानी कर्ता द्वारा यह निगरानी श्री मान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, प्रकरण मे संक्षेपत: तथ्य यह है कि गैर निगरानी कर्ता द्वारा न्यायालय श्री मान् तहसीलदार महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० के समक्ष दिनांक - 10.4.17 को सीमांकन व नक्शा तरमीन किए जाने हेतु भूमि आराजी नं. 755/1, 756/1, 756/2, 758/1, 758/2, 759/1, 760/2,

(161)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 3402 जिला–रीवा

अमिरूल्ला बकस / पन्नालाल गुप्ता

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शंकेश्वर प्रसाद तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 09 / अ–17 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	